

10/10/24

पत्रावली पक्षे निधि पेशा हुने उभय पक्ष
उप. पार पत्र जारी स्वीकार दिना जाता हुने
दिरक्षत निधि डलगत से लिखाइत शाकिम
दिना गमा दिने जति लो नंभर से ६५
हो

निधि उगास गमा

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

GCMS
2024/464



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं० 227/24 G.C.M.S.-2024/4084

दायर दिनांक:- 28-07-2024

रामकुमार पुत्र श्री काशीराम जाति बिश्नोई साकिन 22 एल जी डब्ल्यू तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज०

----- वादी/प्रार्थी

बनाम

- 1-कमला पत्नी श्री नत्थूराम } अकवाम बिश्नोई साकिनान ढाबा हाल 3 डी बी एन
- 2- नत्थूराम दतक पुत्र रूपाराम } भगवानगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर
- 3-अशोक कुमार पुत्र श्री पृथ्वीराज } अकवाम बिश्नोई साकिनान 63 एल एन पी
- 4-बिरमा देवी पत्नी पृथ्वीराज } तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर
- 5- इन्द्राज पुत्र श्री श्योचन्द } अकवाम कुम्हार साकिनान 22 एल जी डब्ल्यू सी हाल
- 6- कृष्णा देवी पत्नी श्योचन्द } 15 एस जी आर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर
- 7- फकीरचन्द पुत्र श्री कृष्णलाल अकवाम कुम्हार साकिन 22 एल जी डब्ल्यू सी तहसील सूरतगढ
- 8- शेरसिंह पुत्र श्री झण्डा सिंह (फौत)
- 8/1- जंगीर सिंह पुत्र श्री शेरसिंह जाति बावरी साकिन 2 एम के तहसील राय
- 9-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

----- प्रतिवादीगण/ अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,, 209 आर टी ए एवं 8 (2) कोलो० एक्ट

उपस्थित :-

- 1- श्री राजवीर भादू, महेन्द्र कुमार अभिभाषक वादी/प्रार्थी
- 2- श्री रामनारायण जालप अभिभाषक प्रतिवादी/अप्रार्थी न० 1 ता 8
- 3- पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ

--- निर्णय ---

दिनांक :- 10.10.2024



आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण वादी/प्रार्थी, प्रतिवादी/अप्रार्थी न० 1 ता 8 के अभिभाषक एवं पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थी के नाम से वाके चक 22 एल जी डब्ल्यू सी तहसील सूरतगढ के खाता सं० 40/34 के प०न० 43/294 मु०न० 14 के किला न० 1/1 ता 12/1 में 3.023 है० नहरी मय खाला, प०न० 43/295 मु०न० 21 के किला न० 1/2, 10-11-20 ता 22/1.505 है० नहरी, प०न० 44/295 मु०न० 22 के किला न० 1 ता 4/1.012 है० नहरी, 5/1 में 0.228 है० नहरी, 5/2 में 0.025 है० गै०मु० रास्ता, 6/1 में 0.228 है० नहरी, 6/2 में 0.025 है० गै०मु० रास्ता, 7 ता 14/2.024 है० नहरी, 15/1 में 0.228 है० नहरी, 15/2 में 0.025 है० गै०मु० रास्ता, 16/1 में 0.228 है० नहरी, 16/2 में 0.025 है० गै०मु० रास्ता, 17 ता 24/2.024 है० नहरी, 25/1 में 0.228 है० नहरी, 25/2 में 0.025 है० गै०मु० रास्ता = 6.200 है० नहरी व 0.125 है० गै०मु० रास्ता, प०न० 45/294 मु०न० 12 के किला न० 20 ता 25/2 में 1.518 है० नहरी मय खाला कुल 12.371 है० नहरी मय खाला, गै०मु० रास्ता (12.045 है० नहरी, 0.201 है० खाला व 0.125 है० गै०मु० रास्ता) खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। प्रतिवादी / अप्रार्थी सं० 1 ता 2 के नाम से भूमि वाके चक 22 एल जी डब्ल्यू सी तहसील सूरतगढ के संयुक्त खाता सं० 18/18 के प०न० 43/294 मु०न० 14 में 3.024 है० नहरी मय खाला खातेदारी भूमि एवं प्रतिवादी/अप्रार्थी सं० 3 ता 7 के नाम से भूमि वाके चक 22 एल जी डब्ल्यू सी के संयुक्त खाता सं० 28/9 के प०न० 43/293 मु०न० 07 में 1.156 है० नहरी, प०न० 45/293 मु०न० 8 में 3.574 है० नहरी कुल 4.831 है० नहरी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। प्रतिवादी/अप्रार्थी सं० 8 के नाम से भूमि वाके चक 22 एल जी डब्ल्यू सी के संयुक्त खाता सं० 48/42 के प०न० 43/293 मु०न० 6 में 1.771 है०, प०न० 44/293 मु०न० 7 में 2.125 है० नहरी मय

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

गै0मु0 रास्ता कुल 3.896 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। वादी/प्रार्थी की जैरवाद भूमि वाके चक 22 एल जी डब्ल्यू सी के खाता सं0 40/34 के प0न0 44/295 मु0न0 22 के किला न0 5/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 6/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 15/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 16/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 25/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता = 0.125 है0 गै0मु0 रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी/प्रार्थी की जैरवाद भूमि में दर्ज 0.125 है0 गै0मु0 रास्ता पिछले 55-60 वर्षों से बन्द पड़ा है। इस रास्ते की कोई उपयोगिता ही नहीं रह गई है चूँकि इस रास्ता के आगे कास्तकारों को प0न0 44/293, 44/294 से चल रहा रास्ता लगता है। जो इस रास्ता से सुगम व निकट पड़ता है। इसी रास्ता का उपयोग आगे के कास्तकार कर रहे हैं। वादी/ प्रार्थी ने पुर्व में इस रास्ता को रकबा राज दर्ज करने का प्रार्थना-पत्र श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ को पेश किया जिसमें हल्का पटवारी की रिपोर्ट मंगवाई गई रिपोर्ट हल्का पटवार में भी उक्त रास्ता 50-60 वर्षों से बन्द बताया गया है। इसलिए वादी/प्रार्थी की जैरवाद भूमि में दर्ज 0.125 है0 गै0मु0 रास्ता की कोई आवश्यकता नहीं होने से रिकार्ड से हटा कर कृषि योग्य भूमि रकबा राज के खाता में दर्ज किये जाने का निवेदन किया।



पत्रावली प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादी/अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन सौलभ किया गया। जिसमें प्रतिवादी/अप्रार्थी न0 1 ता 8 की तरफ से विद्वान अभिभाषक रामनारायण जालप उपस्थिति होकर प्रतिवादी/अप्रार्थी न0 1 ता 8 द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत किया तथा पैरोकार राज ने जबाब दावा प्रस्तुत कर दावा डिकी किये जाना स्वीकार किया। इस आधार पर तनकी कायम की गई। पक्षकारान के साक्ष्य लिये गये। साक्ष्य वादी/प्रार्थी द्वारा शपथ-पत्र एवं अन्य पड़ौसी कास्तकारों के शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये। जिरह शून्य की गई।

1-आया कि वादी/प्रार्थी के नाम से संयुक्त खाते की खातेदारी भूमि वाके चक 22 एल जी डब्ल्यू सी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 40/34 के प0न0 43/294 मु0न0 14 के किला न0 1/1 ता 12/1 में 3.023 है0 नहरी मय खाला, प0न0 43/295 मु0न0 21 के किला न0 1/2 , 10-11-20 ता 22/1.505 है0 नहरी , प0न0 44/295 मु0न0 22 के किला न0 1 ता 4/1.0112 है0 नहरी, 5/1 में 0.228 है0 नहरी, 5/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 6/1 में 0.228 है0 नहरी, 6/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 7 ता 14/2.024 है0 नहरी, 15/1 में 0.228 है0 नहरी, 15/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 16/1 में 0.228 है0 नहरी, 16/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 17 ता 24/2.024 है0 नहरी, 25/1 में 0.228 है0 नहरी, 25/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता =6.200 है0 नहरी व 0.125 है0 गै0मु0 रास्ता , प0न0 45/294 मु0न0 12 के किला न0 20 ता 25/2 में 1.518 है0 नहरी मय खाला कुल 12.371 है0 नहरी मय खाला , गै0मु0 रास्ता (12.045 है0 नहरी, 0.201 है0 खाला व 0.125 है0 गै0मु0 रास्ता) खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है ?

----- वादी/प्रार्थी

2-आया कि वाके चक 22 एल जी डब्ल्यू सी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 40/34 के प0न0 44/295 मु0न0 22 के किला न0 5/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 6/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 15/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता,, 16/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 25/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता = 0.125 है0 गै0मु0 रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है ?

----- वादी/प्रार्थी

3-आया कि प0न0 44/295 मु0न0 22 के किला न0 5/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 6/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 15/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता,, 16/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 25/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता = 0.125 है0 गै0मु0 रास्ता पिछले 55-60 वर्षों से बन्द पड़ा है। इस रास्ते की कोई उपयोगिता ही नहीं रह गई है चूँकि इस रास्ता के आगे कास्तकारों को प0न0 44/293, 44/294 से चल रहा रास्ता लगता है। जो इस रास्ता से सुगम व निकट पड़ता है? —वादी/प्रार्थी

4- आया कि जैरवाद रकबा वाके चक 22 एल जी डब्ल्यू सी के प0न0 44/295 मु0न0 22 के किला न0 5/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 6/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 15/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता,, 16/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 25/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता = 0.125 है0 गै0मु0 रास्ता की कोई उपयोगिता नहीं होने के कारण आरजी राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे?

----- वादी/प्रार्थी
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

उभय पक्षों की बहस सुनी गई जिसमें वकील वादी/प्रार्थी ने वाद-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी/प्रार्थी जैरवाद भूमि चक 22 एल जी डब्ल्यू सी के खाता सं0 40/34 के प0न0 44/295 मु0न0 22 के किला न0 5/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 6/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 15/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 16/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 25/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता = 0.125 है0 गै0मु0 रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है । वादी/प्रार्थी की जैरवाद भूमि में दर्ज 0.125 है0 गै0मु0 रास्ता पिछले 55-60 वर्षों से बन्द पड़ा है । इस रास्ते की कोई उपयोगिता ही नहीं रह गई है चूँकि इस रास्ता के आगे कास्तकारों को प0न0 44/293, 44/294 से चल रहा रास्ता लगता है । जो इस रास्ता से सुगम व निकट पड़ता है । इसी रास्ता का उपयोग आगे के कास्तकार कर रहे हैं । इसलिए वादी/प्रार्थी की जैरवाद भूमि में दर्ज 0.125 है0 गै0मु0 रास्ता की कोई आवश्यकता नहीं होने से रिकार्ड से हटा कर कृषि योग्य भूमि रकबा राज के खाता में दर्ज किये जाने का निवेदन किया तथा न्यायिक दृष्टांत 1988 आर आर डी पेज न0 41 , 2011 आर बी जे पेज नं0 104 पर ध्यान आकृषित करवाया ।



प्रतिवादी/अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने इकबाल जबाब दावे के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त जैरवाद रकबा में चल रहा रास्ता की उपयोगिता नहीं होने से निरस्त किया जाता है कोई उज्र व एतराज नहीं है । परोकार राज ने जबाब दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद डिकी किये जाने पर आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई ।

बहस सुनने के पश्चात पूर्ण पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया । दस्तावेजों व साक्ष्यों पर गौर किया गया विस्तृत विवेचन तनकी वाद निम्न प्रकार से है :-

तनकी न0 1- आया कि वादी/प्रार्थी के नाम से संयुक्त खाते की खातेदारी भूमि वाके चक 22 एल जी डब्ल्यू सी तहसील सूरतगढ़ के खाता सं0 40/34 के प0न0 43/294 मु0न0 14 के किला न0 1/1 ता 12/1 में 3.023 है0 नहरी मय खाला, प0न0 43/295 मु0न0 21 के किला न0 1/2 , 10-11-20 ता 22/1.505 है0 नहरी , प0न0 44/295 मु0न0 22 के किला न0 1 ता 4/1.0112 है0 नहरी, 5/1 में 0.228 है0 नहरी, 5/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 6/1 में 0.228 है0 नहरी, 6/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 7 ता 14/2.024 है0 नहरी, 15/1 में 0.228 है0 नहरी, 15/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 16/1 में 0.228 है0 नहरी, 16/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 17 ता 24/2.024 है0 नहरी, 25/1 में 0.228 है0 नहरी, 25/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता =6.200 है0 नहरी व 0.125 है0 गै0मु0 रास्ता , प0न0 45/294 मु0न0 12 के किला नं0 20 ता 25/2 में 1.518 है0 नहरी मय खाला कुल 12.371 है0 नहरी मय खाला , गै0मु0 रास्ता (12.045 है0 नहरी, 0.201 है0 खाला व 0.125 है0 गै0मु0 रास्ता) खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था वादी के द्वारा उक्त तथ्यों को सिद्ध करने के लिए प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2069 वाके चक 22 एल जी डब्ल्यू सी के खाता सं0 40/34 प्रस्तुत की गई जो ई एक्स पी एक है । जिसमें वादी/ प्रार्थी के द्वारा उक्त जैरवाद गै0मु0 रास्ता की भूमि का रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है । तनकी न0 1 बहक वादी निर्णित की जाती है ।

तनकी न0 2- आया कि वाके चक 22 एल जी डब्ल्यू सी तहसील सूरतगढ़ के खाता सं0 40/34 के प0न0 44/295 मु0न0 22 के किला न0 5/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 6/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 15/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता,, 16/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 25/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता = 0.125 है0 गै0मु0 रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था वादी के द्वारा तनकी न0 1 में प्रमाणित जमाबन्दी ई एक्स पी क के द्वारा उक्त जैरवाद रकबा गै0मु0 रास्ता की भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं । जिससे पूर्ण रूप से सिद्ध होता है कि उक्त रकबा गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड दर्ज है । यह तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

आया कि प0न0 44/295 मु0न0 22 के किला न0 5/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 6/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 15/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 16/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 25/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता = 0.125 है0 गै0मु0 रास्ता पिछले 55-60 वर्षों से बन्द पड़ा है । इस रास्ते की कोई उपयोगिता ही नहीं रह गई है चूँकि इस रास्ता के आगे कास्तकारो को प0न0 44/293, 44/294 से चल रहा रास्ता लगता है । जो इस रास्ता से सुगम व निकट पड़ता है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी/ प्रार्थी पर था । उक्त पत्रावली में प्रतिवादी/ अप्रार्थीगण के द्वारा भी वादी के तथ्यों पर सहमति प्रकट की गई है तथा पेरोकार राज के द्वारा भी जबाब दावा में गै0मु0 रास्ता को निरस्त बाबत कोई आपत्ति नहीं की गई । रिपोर्ट हल्का पटवार में भी उक्त रास्ता 50-60 वर्षों से बन्द बताया गया है । पत्रावली के अवलोकन से तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के मनन से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि जैरवाद गै0मु0 रास्ता का उपयोग नहीं किया जा रहा है अब इसकी कोई उपयोगिता नहीं होने के कारण उक्त रकबा आरजी राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है । जिससे पूर्ण रूप से सिद्ध होता है कि उक्त रकबा गै0मु0 रास्ता के स्थान पर आरजी राज राजस्व रिकार्ड दर्ज किया जाना चाहिए। यह तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

4- आया कि जैरवाद रकबा वाके चक 22 एल जी डब्ल्यू सी के प0न0 44/295 मु0न0 22 के किला न0 5/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 6/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 15/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 16/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 25/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता = 0.125 है0 गै0मु0 रास्ता की कोई उपयोगिता नहीं होने के कारण आरजी राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । वादी के द्वारा पूर्व की तनकीयात में गै0मु0 रास्ता की उपयोगिता नहीं होने के तथ्यों को पूर्ण रूप से सिद्ध किया है । इन सभी तथ्यों को मध्य नजर रखते हुये तनकी न0 4 बहक वादी निर्णित की जाती है ।

इस प्रकार तनकीयात नं0 1 ता 4 बहक वादी/ प्रार्थी निर्णित की चुकी है तथा प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण तथा पेरोकार राज द्वारा जैरवाद रकबा के बारे में कोई आपत्ति नहीं की गई तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट में भी उक्त रास्ता 50-60 वर्षों से बन्द बताया गया है । उक्त प्रकरण में जबाब में माध्यम से उक्त रास्ता 50-60 वर्षों से बन्द होने के तथ्यों को दर्शित किया गया है जिसको साक्ष्य में माध्यम से वादी/ प्रार्थी द्वारा सिद्ध किया गया है । इसलिए जैरवाद रकबा वाके चक 22 एल जी डब्ल्यू सी के प0न0 44/295 मु0न0 22 के किला न0 5/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 6/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 15/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 16/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 25/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता = 0.125 है0 गै0मु0 रास्ता की कोई उपयोगिता नहीं होने के कारण आरजी राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उक्त विवेचना अनुसार वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर वाके चक 22 एल जी डब्ल्यू सी के खाता सं0 40/34 के प0न0 44/295 मु0न0 22 के किला न0 5/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 6/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 15/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 16/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 25/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता = 0.125 है0 गै0मु0 रास्ता को कलमजन कर रकबा राज दर्ज किये आदेश दिया जाता है । इसी अनुसार जमाबन्दी में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे । पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संदीप कुमार)
उपरखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
सूरतगढ़ (राज.)
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)



(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिकी बमुकददम इश्तदाई

अज अदालत-सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्री गंगानगर
बइजलास - श्री संदीप कुमार आर. ए. एस.

अनवान :

रामकुमार पुत्र श्री काशीराम जाति बिश्नोई साकिन 22 एल जी डब्ल्यू तहसील सूरतगढ जिला श्री
गंगानगर राज0

----- वादी/प्रार्थी

बनाम

- 1-कमला पत्नी श्री नत्थूराम } अकवाम बिश्नोई साकिनान ढाबा हाल 3 डी बी एन
- 2- नत्थूराम दतक पुत्र रूपाराम } भगवानगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर
- 3-अशोक कुमार पुत्र श्री पृथ्वीराज } अकवाम बिश्नोई साकिनान 63 एल एन पी
- 4-बिरमा देवी पत्नी पृथ्वीराज } तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर
- 5- इन्द्राज पुत्र श्री श्योचन्द } अकवाम कुम्हार साकिनान 22 एल जी डब्ल्यू सी हाल
- 6- कृष्णा देवी पत्नी श्योचन्द } 15 एस जी आर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर
- 7- फकीरचन्द पुत्र श्री कृष्णलाल अकवाम कुम्हार साकिन 22 एल जी डब्ल्यू सी तहसील सूरतगढ
- 8- शेरसिंह पुत्र श्री झण्डा सिंह (फौत)
- 8/1- जंगीर सिंह पुत्र श्री शेरसिंह जाति बावरी साकिन 2 एम के तहसील राय
- 9-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

----- प्रतिवादीगण/ अप्रार्थीगण


वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं0 227वर्ष 2024 यह मुकदमा आज वास्ते
इनफियाल कितई रुबरु हमारे व हाजिर अभिभाषकगण राजवीर भादू , महेन्द्र कुमार वादी ,
अभिभाषक रामनारायण जालप प्रतिवादी सं0 1 ता 8 एवं राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के
पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिकी जारी करने के आदेश प्रदान किये
जाते है :-

चक 22 एल जी डब्ल्यू सी के खाता सं0 40/34 के प0न0 44/295 मु0न0 22 के किला
न0 5/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 6/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , 15/2 में 0.025 है0 गै0मु0
रास्ता, 16/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 25/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता = 0.125 है0 गै0मु0
रास्ता को कलमजन कर रकबा राज दर्ज किये आदेश दिया जाता है । इसी अनुसार जमाबन्दी में
अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है ।

नोज ...x.....मुबलिग ...x.....बाबतx.....खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ...x.....फसदो
की पालना.....x.....आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10.10.2024 को जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राजी)
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

